स0स0–1/विविध–70/2018– 566 (7)

# बिहार सरकार
## स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

**शैलेश कुमार,**
**सरकार के अपर सचिव।**

सेवा में,

**महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,**
**वीरचन्द पटेल पथ, पटना।**

**द्वारा– आंतरिक वित्तीय सलाहकार।**

पटना, दिनाक–21/03/2025

**विषयः– "विकसित बिहार के सात निश्चय" अंतर्गत राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, महुआ (वैशाली) के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना से प्राप्त रू0 539.55 करोड़ के प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल रू0 5,00,00,00,000/– (रुपये पाँच सौ करोड़) मात्र की लागत पर की प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2024–25 में भारत सरकार "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2024-25"Under part-XII" के तहत इस परियोजना हेतु अवशेष राशि रू0 60,07,00,000/– (रूपये साठ करोड़ सात लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश स0–309(1), दिनाक–07 03 2019 द्वारा "विकसित बिहार के सात निश्चय" अतर्गत राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, महुआ (वैशाली) के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत सरचना निगम लि0, पटना से प्राप्त रु0 539 55 करोड क प्राक्कलन एव तकनीकी अनुमोदन के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2018--19 मे कुल रु0 500,00,00,000/– (रुपये पॉच सौ करोड) मात्र के पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है।

2– उक्त योजनान्तर्गत भवन निर्माण हेतु भारत सरकार, वित्त मत्रालय के पत्राक- F No 44(1)/PF-S/2024-25(CAPEX)-Part-XII-SACE-24, Dated: 22.11.2024 एव F No.44(1)/PF-S/2024-25(CAPEX)-Bihar, Dated: 22.11.2024 तथा वित्त विभाग के पत्राक–701, दिनाक–22 11 2024 के द्वारा "Under Part-XII" के तहत इस परियोजना हेतु स्वास्थ्य विभाग को रू० 69 52 करोड की स्वीकृति प्राप्त है। विभागीय स्वीकृत्यादेश स0–393(7), दिनाक–28 01 2025 द्वारा स्वास्थ्य विभाग हेतु स्वीकृत राशि अतर्गत पूर्व मे रू० 9 45 करोड के व्यय की स्वीकृति दी जा चुकी है। वर्तमान मे उक्त स्वीकृत राशि के विरूद्ध अवशेष रू० 60 07 करोड के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जानी है।

3–इस योजना हेतु अब तक आवटित राशि का विवरण निम्नरुपेण है–

| क्र0 स0 | वित्तीय वर्ष | राशि (रु0 मे) | आवटनादेश स0 एव दिनाक |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018–19 | 1 00,00,000 | स0–118(1)ब0, दिनाक–12 03 2019 |
| 2 | 2021–22 | 62,00.00.000 | स0–314(7), दिनांक–09 02 2022 |
| 3 | 2022–23 | 13,00.00.000 | सं0–80(7), दिनाक–23 06 2022 |
| 4 | 2022–23 | 32,00.00,000 | स0–186(7), दिनाक–06 09 2022 |
| 5 | 2022–23 | 90.00,00.000 | स0–553(7), दिनांक–17 03 2023 |
| 6 | 2023–24 | 19,00.00.000 | स0–565(7), दिनाक–28 02 2024 |
| 7 | 2024–25 | 1,00,00,000 | स0–48(7), दिनाक–27 05 2024 |
| 8 | 2024–25 | 15.00.00.000 | स0–133(7), दिनाक–16 08 2024 |
| 9 | 2024–25 | 50.00.00.000 | स0–153(7), दिनाक–29 08 2024 |
| 10 | 2024–25 | 9,45.00.000 | स0–393(7), दिनाक–28 01 2025 |
| 11 | 2024–25 | 15,00.00.000 | स0–498(7), दिनाक–10 03 2025 |
| **कुल योग–** | | **3,07,45,00,000/-** | |

4– अतएव "विकसित बिहार के सात निश्चय" अतर्गत राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, महुआ (वैशाली) के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत सरचना निगम लि0, पटना से प्राप्त रु0 539 55 करोड के प्राक्कलन एव तकनीकी अनुमोदन के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2018–19 मे कुल रु0 5,00,00,00,000/– (रुपये पॉच सौ करोड) मात्र की लागत पर की प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2024–25 मे भारत सरकार "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2024-25"Under part-XII" के तहत इस परियोजना हेतु अवशेष राशि रू0 60,07,00,000/– (रूपये साठ करोड सात लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5– उक्त कार्य विभागीय राज्यादेश स0–309(1), दिनाक–07 03 2019 के निहित बिन्दुओ को ध्यान मे रखते हुए बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत सरचना निगम लि०, पटना के द्वारा कराया जायेगा।

6—यह व्ययादेश वित्त विभाग के परिपत्र सख्या—2561 / वि0(2), दिनाक—17 04 98, 2880 / वि0(2), दिनाक—06 05 06, 2938 / वि0(2), दिनाक—08 04 08 एव 3758 / वि0, दिनाक—31 05 2017, 7111 / वि0, दिनाक—28 07 2022 एव 12868 / वि0, दिनाक—03 12 2024 के आलोक मे निर्गत किया जा रहा है।

7—इस राशि के व्यय का वहन माग सख्या—20, मुख्य शीर्ष—4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय—03—चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसधान—050—भूमि— 0103—नए चिकित्सा महाविद्यालय एव पारा मेडिकल सस्थान हेतु, विपत्र कोड—20—4210030500103 अन्तर्गत विषय शीर्ष 53—मुख्य निर्माण कार्य के 0103—53—01 मुख्य निर्माण कार्य ईकाई मे उपबधित / तृतीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से किया जायेगा।

8—इस राशि के निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव—सह—निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होगे तथा नियत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होगे।

9—वित्त विभागीय पत्र सख्या—632 वि०, दिनांक—04 07 2023 के क्रम मे निर्गत वित्त विभागीय पत्र सख्या—10792 / वि०, दिनाक—06 12 2023 के क्रम मे "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2024-25 Under Part-XII" के लिए पूजीगत परियोजनाओं से सबधित चालू योजनाओ के वित्त पोषण हेतु लोन की राशि से बकाया भुगतान के लिए कार्यान्वियन एजेन्सी (BMSICL) के पी०एल० खाता मे हस्तान्तरित करते हुए इसके दूसरे दिन राशि को सबधित बैक खाते मे हस्तान्तरित कर व्यय किया जाना है। अतएव अवर सचिव सह—निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म—46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि निगम के पी0एल0 एकॅाउन्ट स0—PBBPLA007 विपत्र कोड—00-8448001110002-0001के अन्तर्गत ledger ID----------मे जमा करेगे, जिसे कार्यान्वियन एजेन्सी (BMSICL) के पी०एल० खाता मे हस्तान्तरित करते हुए इसके दूसरे दिन राशि को सबधित बैक खाते मे हस्तान्तरित कर दिशा—निर्देश के अनुरूप विधिवत् प्रक्रिया अपनाते हुए व्यय करेगे।

10—वित्त विभागीय पत्राक—432 / वि०, दिनाक—29 03 2023 एवं पत्राक—701, दिनाक—22 11 2024 के आलोक मे ससमय उपयोगिता प्रमाण—पत्र GFR 12B मे विभाग के माध्यम से विहित प्रपत्र में तैयार कर वित्त विभाग को निगम के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, पी०एल० एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) तथा पी०एल० खाते मे प्राप्ति का चालान एव व्यय के सुसगत वाउचर / उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र मे ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेगे एव इसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेगे।

11—इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी। राशि की निकासी के मामले मे महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

12—प्रस्ताव एव प्रारूप पर माननीय मत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

13—प्रारूप मे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति स0स0—1 / विविध—70 / 2018 के पृष्ठ—70 / टि0 पर प्राप्त है।

14—यह मात्र व्ययादेश है, आवटन CFMS के माध्यम से निर्गत किया जायेगा।

विश्वासभाजन
21/3/25
(शैलेश कुमार)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापाकः—1 / विविध—70 / 2018— 566 (7) / स्वा0, पटना, दिनाक—21/ 03/ 2025

**प्रतिलिपि**— महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना / योजना एव विकास विभाग, बिहार, पटना / वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना / प्रमडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर / जिलाधिकारी, वैशाली / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना / अवर सचिव—सह—निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपिः**—माननीय मत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव / अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव / सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव / निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना / प्रशाखा पदाधिकारी—7 / लेखा शाखा (दो प्रतियो मे), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपिः**— प्रबध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँएव आधारभूत सरचना निगम लिमिटेड, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपिः**— आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एव उक्त सभी को ई—मेल के माध्यम से सूचित करने के निदेश के साथ प्रेषित।

21/3/25
सरकार के अपर सचिव